नगर परिषद् दानापुर निजामत

तकियापर, दीघा, दानापुर
Email– nagarparishaddanapur@gmail.com

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय द्वारा निर्गत भवन मानचित्र स्वीकृति आदेश पत्र ज्ञापांक 123 दिनांक 26.11.2022 में प्लौट नं0-1560(P) एवं 1564(P) अंकित है।

उक्त भवन मानचित्र स्वीकृति आदेश ज्ञापांक 123 दिनांक 26.11.2022 में प्लॉट नं0-1559(P) एवं खाता नं0-455 भूलवश अंकित करना छूट गया है।

अतः उक्त के आलोक में भवन मानचित्र स्वीकृति आदेश पत्र ज्ञापांक 123 दिनांक 26.11.2022 में अंकित प्लॉट नं0-1559(P) एवं खाता नं0-455 को भी पढा जाय एवं शेष यथावत समझा जाय।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक..4176......./दिनांक.29/12/23.......

प्रतिलिपिः- मेसर्स कुटीर हाउसिंग डेवलपर्स एण्ड कन्सलटेन्स प्रा0 लि0, डाइरेक्टर-श्री अशोक कुमार सिन्हा, पिता-स्व0 आर0 एस0 सहाय, भू-स्वामि-श्री ज्योतिन्द्र मोहन सहाय, पिता-स्व0 इन्द्रदेव सहाय एवं अन्य, पता-13/1, आनन्दपुरी बोरिंग रोड, पटना-1 को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद दानापुर निजामत

फारम-VIII- क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या-51 तिथि-21.06.2022 के संदर्भमें

मेसर्स कुटीर हाउसिंग डेवलपर्स एण्ड कन्सलटेन्स प्रा0 लि0, डाईरेक्टर-श्री अशोक कुमार सिन्हा, पिता-स्व0 आर0 एस0 सहाय, भू-स्वामि-श्री ज्योतिन्द्र मोहन सहाय, पिता-स्व0 इन्द्रदेव सहाय एवं अन्य, पता-13/1, आनन्दपुरी बोरिंग रोड, पटना-1

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिनस्कीम के 51...प्लौट नं0- 1560(P) एवं 1564(P), खाता नं0-460, तौजी नं0-5407,थाना नं0-21, मौजा-दानापुर शहजादपुर, पता-थाना-दानापुर, जिला-पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-..123..../22-23 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल-2306.18 वर्ग मीटर एवं B+G+4 की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 662.00 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि औसत 10.62 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़कको मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 45.69 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पॉच वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

For Kutir Housing developers & consultants (P) Ltd.

Director

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules),2016 का अनुपालन किया जाय।

(ण) **अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017** के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।

(त) **रैन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम एवं सी0सी0टी0भी0 कैमरे** का अनिवार्यरूप से भवन में अनुपालन करना होगा।

(थ) भविष्य में अगर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / श्रम संसाधन विभाग / आयकर विभाग / अन्य किसी विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर / शुल्क लगाया जाता है तो उसका भूगतान आपके द्वारा देय होगा।

(द) नगर परिषद दानापुर निजामत को कभी भी कोई नियम / शर्त लगाने का अधिकार होगा।

(थ) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 (संशोधित) के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांकः- ....123..../दिनांकः- ..26/11/2022..
प्रतिलिपिः- मेसर्स कुटीर हाउसिंग डेवलपर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्रा0 लि0, डाईरेक्टर-श्री अशोक कुमार सिन्हा, पिता-स्व0 आर0एस0 सहाय, भूस्वामि-श्री ज्योतिन्द्र मोहन सहाय, पिता-स्व0 इन्द्रदेव सहाय एवं अन्य, पता-13/1, आनन्दपुरी बोरिंग रोड, पटना-1, मो0 नं0-9835288059 को सूचनार्थ प्रेषित।

For Kutir Housing developers
& consultants (P) Ltd.
Director

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत